निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 01/20 दावा
दायरा दिनांकः—07.01.2020
निर्णय दिनांकः— 02-04-24

उनवान

1. बिशनलाल आयु 62 वर्ष पुत्र मांग्या जाति जाटव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

................वादी

बनाम

1. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गुगोर तहसील छबडा मीना खारोल पुत्री हीरासिंह जाति खरवाल निवासी गुगोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजु आयु 40 वर्ष पुत्र हीरासिंह जाति खरवाल निवासी गुगोर तहसील छबडा
3. माधोलाल आयु 40 वर्ष पुत्र श्योराम जाति कबाडी निवासी खातोली
4. हरनारायण आयु 45 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति कबाडी निवासी खातोली
5. लक्ष्मण आयु 35 वर्ष पुत्र कन्हैया जाति कबाडी निवासी खातोली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

..............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 02-04-24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नारायण लाल — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,188 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ,खाता संख्या 40/40 की खसरा नम्बर 175/20 रकबा 7 बीघा भूमि वाके ग्राम खातोली तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में स्थित है। जिस पर वादी का ही [illegible]श्त है। वादी की जमीन के पास सरकारी स्कुल उत्तर दिश[illegible] ओर स्थित [illegible]म पंचायत द्वारा उक्त स्कूल में बाउंड्रीवाल का कार्य किया [illegible] द्वारा बिना कि[illegible]ईश के वादी के खातेदारी की भूमि में स्कूल की बाउंड्री खेंच का स्कूल में मिलाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:39:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

चाहते है। प्रतिवादी क्रम 4,5 व 6 भी वादी की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण कर बिना किसी पैमाईश के कब्जा काश्त करने पर आमादा है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने दिनांक 20.11.2019 को स्कूल की बाउड्री हेतु जब वादी के खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से बाउंड्रीवाल हेतु नींव खेदना प्रारंभ किया, तब वादी ने प्रतिवादीगण से कहां तो प्रतिवादीगण ने कहा कि यह सरकारी भूमि है, जबकि प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर बाउड्री करने पर आमादा है तथा शेष प्रतिवादी क्रम 4 ता 6 ने भी वादी के खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त करने की धमकी दी। वाद कारण दिनांक 20.11.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर नींव खेदकर बाउंड्रीवाल करने की धमकी देने व शेष प्रतिवादी क्रम 4 ता 6 ने बिना पैमाईश के वादी के खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने एवं पैमाईश कराने की मना करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 19.02.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2073–76 खाता सं0 40 पेश की गई साक्ष्य वादी में PW1 बिशनलाल के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई पत्रावली वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खातोली तहसील छबडा में स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी की भूमि के पास सरकारी स्कूल है ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी पैमाईश के वादी के खातेदारी की भूमि में बाउंड्रीवाल करना चाहते है तथा प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण कर बिना किसी पैमाईश के कब्जा काश्त करने पर आमादा है वादी द्वारा बाउंड्री करने से मना कियस तो लडाई झगडा करने पर आमादा है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:39:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके ग्राम खातोली सम्बत् 2073–76 खाता सं0 40 में बिशनलाल पुत्र मांग्या जाति जाटव का नाम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की है वादी के खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होना अपने पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी **वाके ग्राम** खातोली तहसील छबडा के खसरा नम्बर 175/20 रकबा 7 बीघा जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है, पर बिना विधीक पैमाईश के प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर बाउंड्रीवाल नही करे ऐसा कृत्या ना तो स्वंय करे और ना ही अपने प्रतिनिधियो से करावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:39:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 01/20	धारा 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 02.4.24

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री नारायण लाल–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री

वाद शीर्षक

1. बिशनलाल आयु 62 वर्ष पुत्र मांग्या जाति जाटव निवासी ग्राम महेशपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

................वादी

बनाम

1. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गुगोर तहसील छबडा मीना खारोल पुत्री हीरासिंह जाति खरवाल निवासी गुगोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजु आयु 40 वर्ष पुत्र हीरासिंह जाति खरवाल निवासी गुगोर तहसील छबड़ा
3. माधोलाल आयु 40 वर्ष पुत्र श्योराम जाति कबाडी निवासी खातोली
4. हरनारायण आयु 45 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति कबाडी निवासी खातोली
5. लक्ष्मण आयु 35 वर्ष पुत्र कन्हैया जाति कबाडी निवासी खातोली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खातोली तहसील छबडा के खसरा नम्बर 175/20 रकबा 7 बीघा जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है, पर बिना विधीक पैमाईश के प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर बाउंड्रीवाल नही करे ऐसा कृत्या ना तो स्वंय करे और ना ही अपने प्रतिनिधियो से करावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 02.4.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.स.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:39:34 IST
Reason: SelfAttested